का सारा स्टाफ हटा लिया जाय क्योंकि उसके पास वहाँ करने के लिए कोइ उपयोगी काम नही है।"

क० लोकनाथन ने कहा कि मैंने यह तार भेजने के लिये कर्नल भोंसले को कभी नहीं कहा। मैंने सिर्फ इस विषय में उनसे चर्चा की थी और मुझे इस तार के कुछ शब्दों से आपत्ति भी थी पर क्योंकि वह मुझे दिखाये बिना भेजा जा चुका था अतः मैं उससे परिवर्त्तन नहीं कर सकता था।

आगे जिरह में गवाह ने बताया कि पुलिस विभाग न दिया जाने की अवस्था में अस्थायी सरकार को वहाँ से वापस लाने पर विचार किया जाता।

गवाह ने बताया कि आ० हि० फौज में भर्ती के लिये किसी भी प्रकार के अत्याचार या जबर्दस्ती नहीं की जाती थी।

सरकारी वकील ने पूछा कि अस्थाई सरकार का क्या कार्य था।

उत्तर—यह तो बड़ा अनिश्चित-सा सवाल है।

श्री देसाई—यह तो इस तरह की बात है कि जैसे कोई यह पूछे कि आज भारत सरकार ने क्या क्या किया? (हँसी)

गवाह ने बताया कि इण्डिपेंडेंस लीग की शाखाओं, सेना के विस्तार, भर्ती और शिक्षा, राष्ट्रीय गीत, भाषा आदि विषयों पर विचार होता था।

आज़ाद हिन्द बैंक के डायरेक्टर श्री दीनानाथ की गवाही

श्री दीनानाथ ने जो पहले इमारती लकड़ी का व्योपार करते थे, और पीछे आ० हि० बैंक के डाइरेक्टर बने, बताया कि बैंक बर्मी कानून के अनुसार रजिस्टर्ड था। रंगून में नेताजी फंड कमेटी अस्थायी सरकार के लिये चन्दा एकत्र करती थी और

प्रश्न—मैं तुमसे कहता हूँ कि जापानी सरकार ने अण्डमन और निकोबार अस्थायी आज़ाद हिन्द सरकार को कभी नहीं दिये थे ?

उत्तर—अगर उन्होंने न दिये होते तो मैं वहाँ न जाता।

प्रश्न—मैं तुमसे कहता हूँ कि जापानियों ने लड़ाई के बाद दे देने का वायदा किया था ?

उत्तर—नहीं।

प्रश्न—मैं कहता हूँ कि उन्होंने यह कहा था कि युद्धकाल में सिर्फ वही विभाग दिये जायँगे जो द्वीप की सुरक्षा में बाधक नहीं होंगे।

उत्तर—यह सच है।

प्रश्न—शिक्षा के सम्बन्ध में भी जापानी आग्रह करते थे कि सब बच्चों को उनके 'निपोंगो' स्कूल में भेजा जाय ?

उत्तर—यह सत्य नहीं है। उनका एक 'निपोंगो' स्कूल था और उसमें कुछ छात्र थे। उनका हमारे शिक्षा विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं था।

प्रश्न—जब तक तुम अण्डमान में थे, तुम सुभाषचन्द्र बोस को कोई पत्र नहीं भेज सकते थे ?

उत्तर—मैं राज्य के अध्यक्ष को एक मासिक रिपोर्ट भेजा करता था।

सर नौशेरवाँ—कर्नल लोकनाथन, क्या मेरे सवाल का यह जवाब है ? क्या मैं दुहराऊं ?

कर्नल लोकनाथन—मैं आपके सवाल को समझता ही नहीं।

सरकारी वकील ने अपना प्रश्न दुहराया और गवाह ने उत्तर दिया—और कोई पत्र व्यवहार का साधन न होने से, मुझे अपनी रिपोर्ट जापानियों की मार्फ भेजनी पड़ी थी।

गुण्डों से भारतीयों की रक्षा

आगे गवाह ने बताया कि एक बार जापानियों ने ५० प्रमुख भारतीयों को ब्रिटिश जासूस कहकर पकड़ लिया था, वे सब आ० हि० फौज के हस्तक्षेप से मुक्त हुए। रंगून में गुंडों ने भारतीयों को परेशान करना शुरू कर दिया था मगर आ० हि० फौ० के आ जाने के बाद यह सब बन्द हो गया।

आपने बताया कि आ हि० बैंक हिस्सेदारों का बैंक था जिसकी पूंजी ५० लाख थी। मैं आजाद हिन्द फौज के लिये दस से तीस लाख रुपये तक निकाला करता था।

के० शाहनवाज का बयान

अभियुक्त कप्तान शाहनवाज ने अदालत के सामने एक वक्तव्य पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि 'मैंने कोई अपराध नहीं किया जिसके लिये कि कोई फौजी या सामान्य अदालत मुझ पर मुकदमा चला सके। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि मैंने युद्ध में भाग लिया। पर मैंने ऐसा आजाद हिन्द की अस्थायी सरकार की, जिसने कि सभ्य संसार की युद्ध नीति के अनुसार अपनी मातृभूमि को मुक्त करने के लिये लड़ाई छेड़ी थी तथा जिसे ब्रिटिश फौजों के प्रतिरोध के कारण युद्धरत होना पड़ा, योद्धा सेना के एक सदस्य की हैसियत से किया था।' हत्या के लिए उकसाने के अभियोग के सम्बन्ध में कप्तान शाहनवाज ने कहा कि 'मैंने मोहम्मदहुसैन को नहीं मरवाया।'

कप्तान शाहनवाज ने कहा—'जब मैंने आजाद हिन्द फौज में शामिल होने का निश्चय किया उस समय मैंने अपना सर्वस्व-अपना जीवन, घर-बार, परिवार और उसकी ब्रिटिश बादशाह

मलाया तथा वर्मा का चन्दा आ० हि० बैंक तथा अस्थाई सरकार के अर्थ विभाग के पास रखा जाता था। यह अन्त में अस्थाई सरकार के काम आता था।

१५ करोड़ संग्रह

प्रश्न—वर्मा में कुल कितना धन जमा हुआ ?
उत्तर—करीब १५ करोड़।
प्रश्न—और मलाया में ?
उत्तर—करीब ५ करोड़।

बैंक अप्रैल १९४४ से मई १९४५ तक रहा और उसमें लगभग पौने ६ करोड़ रुपया जमा था। रंगून में ब्रिटिश सेनाओं ने आकर बैंक को मुहरबन्द कर दिया उस समय उसमें आ० हि० फौज के लिए लगभग ३५ लाख रुपया था।

रंगून के जियावाड़ी क्षेत्र के विषय में श्री देसाई के पूछने पर गवाह ने बताया कि पहले बैंक का मैनेजर उसमें व्यवस्था करता था और पीछे वह अस्थाई सरकार को सौंप दिया गया था। उसमें चीनी, सूत, कम्बल, बोरे आदि बनाने की फैक्टरियाँ थीं और लगभग १५००० भारतीय वहाँ थे। वहाँ आ० हि० फौ० का एक ट्रेनिंग कैम्प भी था। इस क्षेत्र की सारी उत्पन्न चीजें अस्थाई सरकार को सौंप दी जाती थीं।

इण्डिपेन्डेन्स लीग के कार्य

प्रश्नों के उत्तर में गवाह ने बताया कि यद्यपि इंडिपेन्डेन्स लीग सभी कार्य करती थी मगर उसका मुख्य कार्य अनुपस्थिति भारतीयों की सम्पत्ति की देख-भाल, रोगियों की सेवा, हवाई हमलों से हिफाजत, स्कूल चलाना आदि था।

सामने लाये गये। वे कोई लिखित जुर्म लगा कर नहीं लाये गये थे। मैंने सिर्फ उसकी भर्त्सना की ओर से कहा कि उसके इस अपराध के लिए उसे गोली से उड़ाया तक जा सकता है। लेकिन मैंने इस मामले को वहीं छोड़ दिया और कहा कि यदि ये लोग फिर ऐसा करें तो मेरे या रेजीमेंट कमाण्डर के सामने; जिसे कि इस बीच मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया था, पेश किया जाय। इसके बाद यह मामला फिर मेरे सामने कभी नहीं आया, शायद इसलिए कि उसका मौका ही नहीं आया।'

ब्रिटिश लोगों के साथ अपने परिवार के सम्बन्धों का इतिहास बताते हुए कप्तान शाहनवाज ने कहा—'मेरे पिता ३० साल तक इन्डियन आर्मी में रहे।''प्रथम तथा द्वितीय दोनों महा युद्धों में हमारे परिवार का हरेक समर्थ नौजवान फौज में था। इस समय भी उनमें से ८० आदमी इन्डियन आर्मी में अफसर हैं। मैं उस परिवार का व्यक्ति हूँ जिसमें ताज के प्रति वफादारी सदा एक कीमती परम्परा मानी जाती रही है। जापानियों द्वारा बन्दी बना लिए जाने पर मैंने एक बार निश्चय किया कि मैं अपने आदमियों के लिए ही स्वेच्छा से आजाद हिन्द फौज में शामिल होऊँगा और मैंने दृढ़ निश्चय किया कि ज्योंहि वह जापानियों के शोषण का शिकार बनेगी त्योंही या तो मैं उसे तोड़ देने के लिये सब संभव प्रयत्न करूँगा अथवा उसे अन्दर से ही नष्ट कर दूँगा। युद्ध बन्दियों पर आजाद हिन्द फौज में भरती होने के लिए कोई जोर-जबर्दस्ती नहीं थी। मैंने तो अपने अफसरों तक को चेतावनी दे दी थी कि यदि वे किसी को जबरन भरती करेंगे तो उन्हें सजा दी जायगी। नेता जी ने हरेक को खुली छूट दे रखी थी कि कठोरतम बलिदान न कर सके तो वह आजाद हिन्द फौज से अलग हो सकता है और आजाद हिन्द

के प्रति वफादारी की परम्परा सभी—का उत्सर्ग कर देने का निश्चय कर लिया था। मैंने निश्चय किया था कि अगर मेरा भाई भी मेरे रास्ते में आया तो मैं उससे भी लड़ूँगा और १९४४ में हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े भी। वह जख्मी हो गया। मेरा चचेरा भाई और मैं दो मास तक प्रायः हर रोज चिन पहाड़ियों पर एक-दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। हमारे सामने सवाल था कि हम बादशाह के प्रति वफादारी को चुने या देश के प्रति वफादारी को। मैंने अपने देश के प्रति वफादारी को चुना और मैंने अपने नेताजी (श्री सुभाषचन्द्र बोस) को वचन दिया कि मैं उस (देश) के लिये अपना बलिदान कर दूँगा।

हत्या को उकसाने के अभियोग के उत्तर में कप्तान शाहनवाज ने कहा—"यदि इस्तगासे की ओर से बयान किये गये तथा कथित तथ्य सच भी हो तो भी मुझे अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। यह स्वीकार किया गया है कि मोहम्मद हुसेन ने, जो कि स्वेच्छा से आजाद हिन्द फौज में शरीक हुआ था और जिसने उसके अनुशासन के आगे आत्म-निवेदन कर दिया था, एक नाजुक समय में भागने और दूसरों को भागने के लिये प्रेरणा देने का प्रयत्न किया। अगर यह कामयाब हो जाता तो वह मेरी सेनाओं के बारे में बहुत सी कीमती खबरें ब्रिटिश कमान के पास पहुँचा देता, जिसका अर्थ हमारे लिए "पूर्ण विनाश" होता। सभी सभ्य देशों के सैनिक कानूनों की तरह आजाद हिन्द फौज के फौजी कानून के मातहत उसका यह अपराध अत्यन्त गम्भीर और मृत्युदण्ड के योग्य था। किन्तु सचाई यह है कि यह बात ही गलत है कि मैंने उसे मृत्युदण्ड दिया था या मेरे द्वारा दिये गये दण्ड के अनुसार उसे गोली से उड़ाया गया। मोहम्मदहुसेन और उसके साथी बेजाब्ता तौर पर मेरे

भाड़े की या कठपुतली सेना सहन न कर सकती थी। हम लोग केवल "हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिए लड़े।"

कर्नल सहगल का बयान

इसके बाद कप्तान सहगल का बयान शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि १७ फरवरी १९४२ की फेरार पार्क, सिंगापुर की वह मीटिंग मुझे कभी भूल नहीं सकती, जिसमें कि लै० क० हंट ने ब्रिटिश प्रतिनिधि की हैसियत से हम हिन्दुस्तानी अफ़सरों व सिपाहियों को भेड़ों की तरह जापानियों को सौंपा था। यह हम सब लोगों के लिये एक चोट थी। हिन्दुस्तानी फ़ौज कठिनतम अवसर पर भी वीरता से लड़ी थी और बदले में हमें ब्रिटिश हवाई कमांड ने एकदम जापानियों की दया पर छोड़ दिया। हमने अनुभव किया कि ब्रिटिश सरकार ने स्वयं ही आज वे सब बन्धन काट दिये हैं, जिन्होंने हमें ब्रिटिश ताज के साथ बाँध रखा था और हमें उसकी सब जिम्मेवारियों से मुक्त कर दिया है। जापानियों ने हमें कप्तान मोहनसिंह को सौंप दिया, जो कि आ० हि० फ़ौज का जनरल आफ़िसर कमांडिंग थे और हमें अपना भाग्य स्वयं निर्माण करने के लिये स्वतन्त्र कर दिया गया। हमारा सचमुच ही यह विश्वास था कि जब कि ब्रिटिश ताज ने हमें संरक्षण देने से इन्कार कर दिया है तब वह हमसे, हमारी वफ़ादारी को माँग नहीं कर सकता।'

इसके बाद कप्तान सहगल ने अगस्त १९४२ में 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास होने के बाद घटित घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यद्यपि आल इण्डिया रेडियो दिल्ली तथा बी० बी० सी० ने इन घटनाओं पर पर्दा डाल दिया था तो भी कुछ गुप्त रेडियो स्टेशन, जो हिन्दुस्तान में कहीं माने जाते थे तथा जापानी

फौज के सैनिकों को उन्होंने चेता दिया था कि उन्हें भूख, प्यास मार्च और यहाँ तक कि मौत का सामना करने को तैयार रहना चाहिए।'

कप्तान शाहनवाज ने फिर कहा—"मैंने अपनी आँखों से सुदूरपूर्व के हजारों दारिद्रीय-पीड़ित हिन्दुस्तानी नर-नारियों में उत्साह का ज्वर देखा है जिन्होंने कि आजाद हिन्द फौज को अपना सर्वस्व और अपने समूचे कुटुम्ब भेंट कर दिये और स्वयं अपने देश की खातिर "फकीर बन गये। मैं जानता हूँ कि हमने एक सच्चा नेता पाया था और जब वह करोड़ों गरीब, निहत्थे और असहाय भारतीयों के नाम पर उनकी मुक्ति के लिए जीवन की आहुति की भीख माँगता था तो कोई सम्मान-प्रेमी हिन्दुस्तानी उसे सिर्फ इतना-सा देने से इंकार नहीं कर सकता था।

"मैंने एक नेता पाया और उसके अनुसरण का निश्चय किया और यह मेरे जीवन का महानतम निर्णय था कि मैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अपने ही आत्मीय स्वजनों से लड़ूँगा जिन्हें कि मैं कभी भी अपने विचारों का नहीं बना सकता।

"जब मैंने उन करोड़ों भूख से तड़पते लोगों का ख्याल किया; जिन्हें कि ब्रिटिश निर्दयता से चूस रहे हैं और इस शोषण को सहज बनाने के लिये जिन्हें जान-बूझ कर अशिक्षित और अनजान रखा जा रहा है तो मेरे हृदय में भारत में जारी उस शासन के प्रति तीव्र घृणा पैदा हो उठी, जो कि अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है। इस अन्याय का नामोनिशान मिटाने के लिये मैंने संकल्प किया कि मैं अपने सर्वस्व, अपने जीवन, घर-बार, परिवार और उस की परम्पराओं तक का बलिदान कर दूँगा।

"मैं आप लोगों को और देश वासियों को यह भी बता दूँ कि आजाद हिन्द फौज ने जो कष्ट सहन किये, उन्हें कोई भी

दिया गया था। यदि उनको दिया गया मृत्युदण्ड क्रियान्वित भी कर दिया जाता तो भी उक्त आरोप नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि उन्होंने आ० हि० फौज विधान तथा सारे सन्सार के सैनिक कानून के अनुसार मृत्युदंड प्राप्त होने योग्य ही अपराध किया था।

लै० ढिल्लन का बयान

लै० ढिल्लन ने सिंगापुर के पतन तथा क० मोहन सिंह द्वारा आ० हि० फौ० के निर्माण सम्बन्धी घटनाओं का वर्णन करते हुए कहा—मलाया में जापानी आक्रमण के फलस्वरूप लोगों को जिस मुसीबत का सामना करना पड़ा उससे मैं स्वदेश पर सम्भावित आक्रमण के परिणाम की कल्पना से काँप उठा। मैंने तब अनुभव किया कि अंग्रेजों ने अपने १५० साल के शासनकाल में भारत का शोषण ही शोषण किया है और उसको रक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की है। क० मोहन सिंह द्वारा निर्माण की जाने वाली आ० हि० फौ० में मैंने भारत के लिये आशा की किरण देखी। मैंने अनुभव किया कि जैसे भारत माँ मुझे बुला रही है और मैं आजाद हिन्द फौज में सम्मिलित हो गया। आजाद हिन्द फ़ौज की भर्ती मे कभी कोई जोर-जबरदस्ती नहीं की गई, क्योंकि उसमें भर्ती होने वालों की सख्या इतनी अधिक थी कि हम सब को शस्त्रास्त्र भी नहीं दे सकते थे। इस्तगासे के गवाहों का यह आरोप सर्वथा असत्य है कि आजाद हिन्द फौज में भर्ती के लिये बाधित करने के लिए युद्धबन्दियों को नजरबन्द कैम्पों या जेल कैम्पों में था। केवल अनुशासन भग इत्यादि करने वालों के लिए एक नजरबन्द कैम्प अवश्य था। पर उसके लोगों को आ० हि० फौ० के अयोग्य ठहराकर उन्हें आ० हि० फौ० में स्वीकार नहीं किया जाता था।

एवं अन्य धुरीराष्ट्रों के रेडियो खुलकर इन घटनाओं को तथा हिन्दुस्तान के आजादी आन्दोलन को दबाने के लिये सरकार द्वारा अख्तियार किये गये तरीकों को ब्राडकास्ट करते रहते थे। इससे हमारे मन में आया कि अवश्य ही हिन्दुस्तान में सन् १८५७ के गदर के बाद किये गये लोमहर्षक आतङ्क का साम्राज्य छा गया है। *यह बताने की जरूरत नहीं कि हमारे भीतर अपने* आत्मीय परिजनों के लिए जिन्हें हम अपने पीछे छोड़ आये थे, अत्यन्त चिन्ता पैदा हो गई और हमें व हमारे देश को सदा के लिए गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखने के लिये तुली हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही के खिलाफ हमें तीव्र घृणा और असन्तोष हो गया।

कै० सहगल ने कहा कि भारत की सुरक्षा के सम्बन्ध में हमें जो खबरें मिलीं वह बहुत उत्साहवर्धक नहीं थीं। विचार-विनिमय के बाद यह निश्चय रहा कि एक मजबूत व दृढ़ अनुशासन बद्ध सेना का निर्माण किया जाय जो जापानी सेना के साथ साथ अपने देश की मुक्ति के लिये संघर्ष करे तथा जापानियों द्वारा भारत में सम्भावित स्वशासन की स्थापना के किसी भी प्रयत्न का प्रतिरोध करे और जापानियों द्वारा सम्भावित दुराचार से अपने देशवासियों की रक्षा करे। मैंने जापानियों के दुर्व्यवहार के भय से आ० हि० फौज में शामिल न होकर शुद्ध *देश-भक्ति की भावना से प्रेरित होकर वैसा किया। आपने यह* दावा किया कि वे युद्धबन्दी को प्राप्त होनेवाले सब विशेषाधिकारों के अधिकारी हैं।

हत्या में सहायता करने सम्बन्धी आरोप के सम्बन्ध में आपने कहा कि अभियोग पत्र में उल्लिखित मृत्युदण्ड प्राप्त चारों सैनिकों का शोक प्रकट करने व आश्वासन देने पर क्षमा कर

हैं, मुकद्दमा चलाकर फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस्तगासे के गवाहों ने इन व्यक्तियों को गोली से उड़ाये जाने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि उन्हें फांसी की सजायें सुनाई गई थीं। रहा मुहम्मद हुसैन का मामला सो इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उन्हें सजा सुनाई गई हो। इन सब मामलों में मेरा यह कह देना आवश्यक है कि अदालत के सामने जो गवाहियाँ दर्ज की गई हैं, उनके द्वारा अदालत केवल इसी परिणाम पर पहुँच सकती है कि यद्यपि प्रथम मामले में सजा सुनाई गई थी और दूसरे में कोई सजा नहीं सुनाई गई थी, लेकिन उन सजाओं का कार्यान्वित कभी नहीं किया गया।

"अब अदालत के सामने केवल यह मुकदमा रह जाता है कि क्या एक आधीन राष्ट्र को स्वतन्त्रता के लिए युद्ध करने का अधिकार है या नहीं। मैं अन्तर्राष्ट्रीय कानून से कुछ स्वीकृत प्रमाण उद्धृत करूँगा। जो यह साबित करेंगे कि एक राष्ट्र को अपनी स्वतन्त्रता के लिये युद्ध करने का अधिकार है। मैं अदालत का इस बारे में पूरा सन्तोष करूँगा।"

"एक बात और भी है। इस मुकदमे ने जनता में बड़ी उत्सुकता उत्पन्न कर दी है। सरकारी गैर-सरकारी तौर से उस पर कई मत प्रकट किये गये हैं। सम्भव है आप लोग भी इन बातों से प्रभावित हो जायँ। वस्तुतः ऐसे मुकदमे में निष्पक्ष उदासीनता जो न्याय के लिये अत्यावश्यक है, बनाये रखना कठिन है।

जूरियों से निवेदन

मैं जूरियों को इस बात से आगाह कर देना चाहता हूँ कि कहीं वे जनमत का दुरुपयोग न कर बैठें। आप लोग कानून और

इस्तगासे के गवाहों ने अपनी रक्षा तथा सरकार की कृपा प्राप्ति के लिए झूठी कहानियाँ गढ़ी हैं। युद्धकाल में कई बार मुझे २-३ दिन तक भूखा तथा २० से ३० घंटे तक निर्जल रहना पड़ा है। और सैनिकों को तो उससे भी कहीं अधिक कष्ट उठाना पड़ा होगा। जोर-जबर्दस्ती से भर्ती किये गये लोग ये कष्ट बरदाश्त नहीं कर सकते थे।

मैंने जो कुछ किया है वह स्वतन्त्र भारत की अस्थाई सरकार की एक नियमित रूप से संगठित सेना के सदस्य के रूप में किया है इसलिये इंडियन आर्मी एक्ट या भारत के फौजदारी कानून के मातहत मुझ पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

सफाई की दलीलें

इस्तगासा तथा सफ़ाई के समस्त गवाहों की गवाही समाप्त हो जाने के पश्चात् श्री भूलाभाई देसाई ने अपनी बहस प्रारम्भ करते हुए कहा कि :—

"अभियुक्तों के खिलाफ दो अभियोग हैं—एक तो सम्राट् के विरुद्ध युद्ध करने का और दूसरा हत्या करने व उनमें योग देने का। वास्तव में देखा जाय तो अदालत के सामने केवल एक ही अभियोग है; क्योंकि जहाँ तक हत्या व हत्या में योग देने का सम्बन्ध है, यह पहले अभियोग का ही एक भाग है। मैं यह इसलिये कहता हूँ कि सम्राट् के विरुद्ध युद्ध करने के किसी भी मामले में गोली चलाने के प्रत्येक कार्य पर अभियोग लगाना सम्भव होगा, जो मेरे खयाल में तर्क को असिद्ध करना है।"

श्री देसाई ने आगे कहा—"समय आने पर मैं यह बतलाऊँगा कि जहाँ तक दूसरे आरोप (हत्या व हत्या में योग) है, इसका वस्तुतः केवल इसके सिवा कोई अन्य आधार नहीं है कि ४ भगोड़े व्यक्तियों को, जिन्हें गोली से उड़ाया गया बतलाते

हैं, मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस्तगासे के गवाहों ने इन व्यक्तियों को गोली से उड़ाये जाने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि उन्हें फांसी की सजायें सुनाई गईं थी। रहा मुहम्मद हुसेन का मामला सो इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उन्हें सजा सुनाई गई हो। इन सब मामलों में मेरा यह कह देना आवश्यक है कि अदालत के सामने जो गवाहियाँ दर्ज की गई हैं, उनके द्वारा अदालत केवल इसी *परिणाम पर पहुँच सकती है कि यद्यपि* प्रथम मामले में सजा सुनाई गई थी और दूसरे में कोई सजा नहीं सुनाई गई थी, लेकिन उन सजाओं को कार्यान्वित कभी नहीं किया गया।'

"अब अदालत के सामने केवल यह मुकदमा रह जाता है कि क्या एक आधीन राष्ट्र को स्वतन्त्रता के लिए युद्ध करने का अधिकार है या नहीं। मैं अन्तर्राष्ट्रीय कानून से कुछ स्वीकृत प्रमाण उद्धृत करूँगा। जो यह साबित करेंगे कि एक राष्ट्र को अपनी स्वतन्त्रता के लिये युद्ध करने का अधिकार है। मैं अदालत का इस बारे में पूरा सन्तोष करूँगा।"

"एक बात और भी है। इस मुकदमे ने जनता में बड़ी उत्सुकता उत्पन्न कर दी है। सरकारी गैर-सरकारी तौर से उस पर कई मत प्रकट किये गये हैं। सम्भव है आप लोग भी इन बातों से प्रभावित हो जायँ। वस्तुतः ऐसे मुकदमे में निष्पक्ष उदासीनता जो न्याय के लिये अत्यावश्यक है, बनाये रखना कठिन है।

जूरियों से निवेदन

मैं जूरियों को इस बात से आगाह कर देना चाहता हूँ कि कहीं वे जनमत का दुरुपयोग न कर बैठें। आप लोग कानन और

घटना दोनों ही के निर्णायक हैं। मैं समझता हूँ कि जज एडवोकेट, जो आपके परामर्शदाता हैं, उन सब बातों का पूर्णतया न्याय करेंगे, जो मैंने या इस्तगासे ने कानून या घटनाओं के सम्बन्ध में कही हैं। आप लोग उनके परामर्श पर गम्भीर ध्यान देंगे ही, पर अंतिम निर्णय पर तो आप ही का अधिकार और आप ही का उत्तरदायित्व है। ऐसी अदालत की अपेक्षा एक अभ्यस्त न्यायधीश के लिए कानून के प्रश्न का हल करना अपेक्षाकृत सरल है। फिर भी इस मुकदमे में कानून स्पष्ट है, और उस पर अपना निर्णय प्रकट करने के लिए मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

एक सङ्गठित सरकार

आजाद हिन्द सरकार एक सङ्गठित सरकार थी और २० लाख व्यक्ति उसके प्रति वफ़ादार थे। यह सरकार धुरी राष्ट्रों द्वारा प्रभावित थी। उसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये युद्ध छेड़ने का पूर्ण अधिकार था। यह ठीक है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के जिन देशों ने इस सरकार को स्वीकार किया था, वे सब जापान के नियंत्रण में थे। लेकिन इस पर भी यदि उन देशों ने उक्त सरकार को स्वीकृत किया तो यह वैध ही था।

आजाद हिन्द फौज

आजाद हिन्द सरकार की अपनी सेना थी और उसका नाम था आजाद हिन्द फौज। इस सेना का अपना कानून था। इस कानून में लैं० नाग के बयान के अनुसार भारतीय फौजी कानून की दफा ४५ को भी स्थान दे दिया गया था। इस दफा के अनुसार फौजियों को शारीरिक सजा दी जा सकती है।

युद्धरत देशों के अधिकार

इसके बाद श्री देसाई ने कामन्स सभा के उस वादविवाद की चर्चा की जो १४ अप्रैल, सन् १९३७ को स्पेन के गृहयुद्ध के सम्बन्ध में हुआ था। मिस्टर ईडन उन दिनों विदेश-मन्त्री थे। ब्रिटिश सरकार ने दोनों के बीच लड़ाई की जो स्थिति स्वीकार की थी उसका उन्होंने समर्थन किया था और कहा था कि युद्ध-स्थिति का प्रश्न उतना सैद्धांतिक नहीं है जितना वास्तविक। सन् १८२१-२५ में तुर्की के विरुद्ध जो ग्रीक विप्लव हुआ था उसमें विद्रोह अपनी ही सरकार के विरुद्ध किया गया था और यद्यपि विप्लवकारियों की कोई अपनी सरकारी संस्था नहीं थी फिर भी उनका विप्लव युद्ध माना गया था।

इसके बाद श्री देसाई ने मि० चर्चिल के उस भाषण का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा था कि *विप्लव युद्ध का एक न्याय सङ्गत शस्त्र है और विप्लवकारियों को* कुत्तों की भांति बन्दूक का निशाना नहीं बनाया जा सकता। यह सत्य है कि आ० हि० फ़ौज के सिपाहियों ने ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों को मारा था। किन्तु साथ ही साथ यह भी सत्य है कि ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों ने भी आ० हि० फ़ौज के सिपाहियों को मारा था। इसलिये दोनों ही दलों को युद्ध-सम्बन्धी समान का अधिकार प्राप्त है।

भारत-सरकार द्वारा स्वीकृति

इसके बाद श्री देसाई ने भारत-सरकार द्वारा प्रकाशित की हुई उस विज्ञप्ति तथा श्री हेण्डरसेन द्वारा कामन्स सभा में दिये गए उस वक्तव्य का उल्लेख किया जिनमें यह स्पष्ट किया गया

अभियुक्तों पर भारत का कानून लागू नहीं

उन्होंने कहा कि अपने खतरे की दृष्टि से इन लोगों पर आप फौजदारी कानून लागू कर रहे हैं जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिये संगठित सेना के सदस्य के नाते लड़ाई लड़ी। यदि ये अभियुक्त सफल हो गये होते तो यह अदालत उन पर मुकदमा नहीं चलाती। देश को स्वतन्त्र करने के अपने उद्देश्य में असफल हो जाने से ही वे युद्धरत अस्थायी सरकार की सेना की सदस्यता से वंचित नहीं किये जा सकते, क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक थी और उनमें सभी आवश्यक गुण थे। उन्होंने बताया कि दोनों दल-ब्रिटिश सैन्य दल और आ० हि० फौज युद्ध करने की स्थिति में थे। अतः भारतीय दण्ड विधान के ७६ वें दफे के अन्तर्गत अभियुक्तों पर भारत के कानून लागू नहीं हो सकते। सरकारी पक्ष जो सिद्ध करना चाहता है वह ऐसी ही है जैसे इन तीनों अभियुक्तों ने अपने हित के लिये किसी की हत्या की हो।

श्री भूलाभाई देसाई ने यह भी कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून उस मध्यकालीन स्थिति को भी स्वीकार करता है जिसमें युद्ध करने वाले विद्रोही स्वतन्त्र होने की आशा करते हैं और अभियुक्त निश्चित रूप से इस स्थिति तक पहुँच गये थे। उन्होंने कहा कि मैं सरकारी वकील के उस कार्य के लिए आभारी हूँ जिसमें उन्होंने कागजात पेश कर यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि ब्रिटिश सेना और आ० हि० फ़ौज में युद्ध हो रहा था। उन्होंने अदालत के न्यायाधीशों से अनुरोध किया कि आप लोग इस फैसले पर पहुँचें कि युद्ध जारी रखने में अभियुक्तों ने जो कार्रवाई की उसके लिये वे छोड़ दिये जाँय क्योंकि एक संगठित सेना के सदस्य भी अपने को इसी तरह छोड़ दिये जाने का दावा करेंगे।

किया था। उस मन्त्री को पदग्रहण करने का अवसर मिल सका था या नहीं यह दूसरा बात है, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उसकी नियुक्ति हुई थी और आ० हि० सरकार एक नियमित रूप से सङ्गठित शासन-संस्था थी और जापानियों के हाथों में खिलौना मात्र नहीं थी।

अपनी बहस जारी करते हुए श्री भूलाभाई देसाई ने अमरीकी स्वतन्त्रता घोषणा के कुछ अंशों को उद्धृत किया। उन्होंने कहा कि अमरीका जब बृटेन के अधीन था, तब उसने एक विदेशी राजा के प्रति वफादार रहने की अपेक्षा देश-भक्ति का ही वरन् करना श्रेयस्कर समझा। श्री देसाई ने अपने इस तर्क को कि एक परतन्त्र राष्ट्र का स्वतन्त्र होने का अधिकार है, पुष्ट करने के लिये १७७६ की ब्रिटिश स्वतन्त्रता घोषणा के उस अंश को उद्धृत किया जिसमें कहा गया था कि ईश्वर ने मनुष्यों को समान बनाया है, अतः यदि सरकार इस सिद्धान्त के विपरीत जाती है तो प्रजा का अधिकार है कि उसे नष्ट कर दिया जाय।

युद्धबन्दियों के कर्तव्य पर प्रकाश डालते हुए श्री देसाई ने कहा कि युद्धबन्दी से यह आशा की जाती है कि वह शत्रु के हाथ की कठपुतली न बने, पर उसे अपने देश की आज़ादी के लिये न लड़ने की आशा नहीं की जा सकती। आ० हि० फ़ौज का निर्माण केवल भारत की स्वतन्त्रता के लिये हुआ था और यह उपलब्ध प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है कि वह जापानियों की कठपुतली नहीं थी। वह जापानियों से भी लड़ने को तैयार थी। इस लिए आ० हि० फ़ौज के सैनिकों ने युद्धबन्दियों के कर्तव्य को भंग नहीं किया।

भारतीय युद्धबन्दी ने आ० हि० फ़ौज में इसलिए सम्मिलित हुए क्योंकि उन्हें शत्रु के हवाले कर दिया गया था,' क्योंकि

है कि सरकार की नीति सम्राट् के विरुद्ध युद्ध करनेवाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की नहीं है। श्री देसाई ने कहा कि उन्होंने यह बात अदालत के सामने यह प्रकट करने के लिए उपस्थित की है कि इच्छा न होने पर भी भारत सरकार ने स्वीकार किया है कि उक्त दशा में युद्ध करने का अपराध नहीं चलाया जा सकता।

राजभक्ति का प्रश्न

ब्रिटेन और भारत की स्थिति में अन्तर बताते हुए श्री देसाई ने कहा कि बृटेन में देश और सम्राट् दोनों के प्रति भक्ति रखनी पड़ती है, किन्तु भारतवर्ष में केवल बादशाह के प्रति ऐसी दशा में जब बादशाह देश से पृथक कर दिया जाता है तो जनता के लिए कुछ निश्चय करना असम्भव हो जाता है और उसे अपने देश के प्रति ही प्रेम रखना पड़ता है। आ० हि० फ़ौ० के सैनिकों ने ठीक यही किया।

एक नियमित सेना

अन्त में श्री देसाई ने कहा कि इस्तगासे की ओर से यह कहा जा सकता है कि आ० हि० सरकार एक गुड़िया सरकार था। यह बात सत्य है कि आ० हि० फ़ौज एक छोटी सी फ़ौज थी, फिर भी उसकी नियमित रूप से स्थापना हुई थी और वह जापानियों की ओर से लड़ रही थी। दोनों का उद्देश्य भारत को स्वतन्त्र बनाना था।

श्री देसाई ने यह भी बताया कि आजाद हिन्द सरकार को कितने ही देशों की सरकार ने अपनी स्वीकृति दी थी और जापानी सरकार ने उसके लिए एक जापानी मन्त्री भी नियुक्त

कोई जबर्दस्ती नहीं

भर्ती करने में क्या जबर्दस्ती की जाती थी, इस विषय पर श्री देसाई ने कहा कि हमारे पास इस बात का प्रमाण है कि आ० हि० फौज में इतने अधिक आदमी भर्ती होते थे कि उन्हें ट्रेनिंग भी नहीं दी जा सकती थी। ऐसी दशा में जबर्दस्ती की गुंजाइश ही कहाँ है ? जिन गवाहों ने जबर्दस्ती किये जाने की गवाही दी है, वे *महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं।* वे वस्तुतः अनुशासन भङ्ग के अपराधी थे और इसलिये उन्हें दण्ड दिया गया था। अब वे अर्धसत्य बातें कर कर प्रसिद्ध पाना चाहते हैं। सभी अनुभवी वकील जानते हैं कि फौजदारी अदालतों में यह बात सामान्य है।

इस्तगासा यह प्रमाणित नहीं कर सका है कि अभियुक्तों को जबर्दस्ती किये जाने का ज्ञान था और इस आधार पर वे लोगों को आजाद हिन्द फौज में भर्ती होने की धमकी देते थे।

लंच के बाद की कार्रवाई

जिरह जारी करते हुए श्री देसाई ने अदालत से अनुरोध किया कि यदि जिरह करते समय सरकारी वकील ने कानून सम्बन्धी कोई नया नुस्खा निकाला जिसकी मैंने चर्चा न की हो तो मुझे उसका उत्तर देने के लिए समय मिलना चाहिए।

उसके बाद उन्होंने तीनों अभियुक्तों पर हत्या तथा हत्या करने के लिए बहकावा देने के अभियोग की विस्तृत चर्चा की।

क० शाहनवाज की आज्ञा पर मुहम्मद हुसैन की तथाकथित हत्या का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि उनको फाँसी की आज्ञा देने तथा फाँसी देने के सम्बन्ध में कोई कागजात नहीं

अंगरेजों और भारतीयों में भेद-भाव की नीति बर्ती जाती थी, क्योंकि जापानियों द्वारा की गई चीन और मलाया निवासियों की दुर्दशा से भारत को बचाना चाहते थे। वे शत्रु के हितार्थ खून बहाने के लिये उससे नहीं जा मिले। इस्तगासे ने भी उन पर यह अभियोग नहीं लगाया कि वे फ़ौजी भगोड़े थे अथवा उन्होंने युद्धबन्दियों के कर्तव्य को नहीं निभाया।

हमारा संग्राम पुस्तिका प्रमाणभूत नहीं

आजाद हिन्द फ़ौज सचमुच एक 'आजाद फौज' थी। उसे जापानियों से सहायता मिलती थी। इस्तगासे और बचाव पक्ष की गवाहियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि आ० हि० फौज ने भारत की स्वतन्त्रता के लिये युद्ध किया था। 'हमारा संग्राम' नामक पुस्तिका के प्रकाशन से ही उसमें लगाये गये अभियोग प्रमाणित नहीं हो जाते। चूँकि रासबिहारी बोस ने कै० मोहन-सिंह के विरुद्ध कुछ कहा है, इससे हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि उनके अभियोग सत्य हैं। कै० मोहनसिंह और श्री रासबिहारी बोस में परस्पर मन मुटाव था, यह प्रमाणित हो चुका है।

आजाद हिन्द फ़ौज स्वेच्छा-निर्मित थी

यह कहना हास्यास्पद है कि लोग अपने राशन में चीनी पाने के लोभ से (जो उन्हें युद्धबन्दी के रूप में नहीं मिल सकती थी) आ० हि० फौज में भर्ती होते थे। सच पूछिये तो उसमें भर्ती होने वालों को मौत का खतरा था। युद्धबन्दी कैम्पों और आ० हि० फौज की सुविधाओं की तुलना करना अप्रासंगिक है। आ० हि० फौज स्वेच्छा-निर्मित सेना थी। इस्तगासा इसे अप्रमाणित करने में असफल रहा है।

श्री भूलाभाई ने कहा कि जितने सबूत हैं उनसे यही सिद्ध होता है कि ब्रिटिश अफसरों ने आजाद हिन्द फौज को संगठित सेना स्वीकार किया था और वे उनके अफसर उसी ओहदे के अफसर समझते थे।

समूचा मुकदमा अवैध

उन्होंने फिर कानून सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाया जिसके अनुसार समूचे मुकदमे की वैधता को चुनौती दी गई। उन्होंने कहा कि यह अदालत केवल फौजदारी अदालत के अन्तर्गत आने वाले प्रश्नों के सम्बन्ध में मुकदमा चला सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह अदालत इस पर स्वतः मुकदमा नहीं चला सकता किन्तु केवल प्रान्तीय सरकारों के आदेश पर ही मुकदमा चला सकती है। फिर उन्होंने यह भी बताया कि कई अभियोग एक साथ मिला दिये गए हैं और कई अभियुक्तों पर भी एक साथ मुकदमा चलाया गया है। उन्होंने प्रिवीकौंसिल के निर्णय का हवाला दिया और बताया कि जब तक कई व्यक्तियों ने एक साथ मिल कर कोई अभियोग न किया हो तब तक प्रत्येक व्यक्ति पर अलग-अलग मुकदमा चलता है। कुछ अभियुक्तों पर जो तथाकथित अभियोग लगाया गया है, वह दूसरे अभि-युक्तो पर नहीं है। इस तरह समूचा मुकदमा अवैध हो जाता है।

सर नौशेरवाँ इ० की दलीलें

अपनी बहस शुरू करते हुए सर एन० पी० इंजीनियर ने कहा कि सबूतों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तीनों अभियुक्त आजाद हि० फौज में शामिल थे और उन्होंने सम्राट की सेना के विरुद्ध युद्धसम्बन्धी आदेश दिये थे। उन्होंने भाषणों द्वारा युद्धबन्दियों

हैं। और उनके सम्बन्ध में जहाँ तक अन्य ४ व्यक्तियों को गोली से उड़ा देने का अभियोग है, वे गोली से उड़ाये ही नहीं गए। उन्होंने यह भी बताया कि इसी तरह की सजा अन्य व्यक्तियों को भी दी गई थी किन्तु फाँसी नहीं दी गई और अभियुक्तों को माफी दे दी गई. उन्होंने यह भी बताया कि चूंकि आज्ञा दे दी गई थी अतः यह नियम नहीं मान लिया जाना चाहिये कि आज्ञा कार्यरूप में परिणित की गयी थी।

मैं अदालत से कम-से-कम इतना चाहता हूँ कि वह यह कह दे कि वस्तुतः फाँसी दिए जाने पर संदेह करने की काफी गुंजाइश है। ऐसा स्वीकार कर लिए जाने पर मैं अदालत से अनुरोध करूँगा कि सन्देह से मेरे मुवक्किलों को लाभ उठाने दिया जाय।

कोई व्यक्ति विशेष उत्तरदायी नहीं

श्री भूलाभाई ने कहा कि यदि गोली चलाई भी गयी हो तो भी वह अभियोग नहीं है क्योंकि आजाद हिन्द फौज के अन्तर्गत युद्ध जारी रखने में जो कार्रवाई की गई उसके लिए किसी खास व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता।

युद्ध बन्दी की तरह आत्मसमर्पण

उसके बाद उन्होंने आत्मसर्पण की शर्तों की चर्चा की जब कि क० शाहनवाज और उनके साथियों ने आत्मसमर्पण किया। कर्नल किटसन और गुलाम मोहम्मद ने यह स्वीकार किया कि जब क० सहगल और उनके साथी घेर लिए गये तब उन लोगों ने कहा था कि हम लोग युद्ध बन्दी की तरह आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं नहीं तो हम लोग अन्त तक लड़ेंगे। यह शर्त स्वीकार कर ली गई थी और तब उन लोगों ने आत्मसमर्पण किया।

यह सिद्ध करना अदालत का काम है कि अभियुक्तों ने स्वतः युद्ध बन्दियों पर अत्याचार किये, या वे करना चाहते थे किन्तु यह सिद्ध करना इस्तगासे के वकील का काम है कि अभियुक्तों ने इस ढङ्ग से धमकी दी कि यदि युद्धबन्दी आजाद हिंद फ़ौज में सम्मिलत न होंगे तो सम्भवतः उन लोगों को बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेगी और उन लोगों को अत्याचारों का शिकार होना पड़ेगा। इस्तगासे के वकील होने के नाते यह स्वीकार करना मेरा कर्तव्य है और मैं स्वीकार करता हूँ कि गवाहों ने यह स्वीकार नहीं किया।

इस्तगासे के वकील ने बताया कि अभियुक्तों को भारतीय कमीशन प्राप्त था और उन पर भारतीय फौजी कानून लागू होता था उन पर यह कानून तब तक लागू होता है जब तक वे अवसर न प्राप्त करलें या नौकरी से हटा न दिये जायँ। वस्तुतः इस बात का प्रमाण है कि आजाद हिन्द फौज के जिन अफ़सरों और सिपाहियों ने बाद में आजाद हिन्द फ़ौज को छोड़ दिया, वे पुनः युद्ध बन्दी बना दिये गये। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों के वकील का यह अर्थ था कि भारतीय दण्ड विधान की १२१ (अ) वी धारा का अलग अर्थ होना चाहिये कि अभियुक्त की क्या स्थिति थी और यदि अस्थायी सरकार की घोषणा हो गई है और ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई है तो सम्राट के विरुद्ध युद्ध करना अपराध नहीं है।

उसके बाद उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए कि अन्तराष्ट्रीय कानून वहीं तक इङ्गलैण्ड के कानून का एक अंग है जहाँ तक वे कानून धारासभाओं, अदालती निर्णय या प्रथा के अन्तर्गत हो, इंगलैण्ड के कानूनों का हवाला दिया। अदालत अन्तराष्ट्रीय

को सम्राट के प्रति वफादारी छोड़ने को प्रेरित किया था। तीनों अभियुक्तों ने सम्राट के विरुद्ध युद्ध करना स्वीकार कर ही लिया है। अतः इस बात को प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं।

सर नौशेरवाँ ने सफाई पक्ष की इस आवेदन पर आपत्ति उठाई कि बल-प्रयोग की बातों पर ध्यान न दिया जाय। सफाई पक्ष की तर्कों का उन्होंने सिंहावलोकन किया। पढ़ते समय वे टाइप की गलतियाँ भी ठीक करते जाते थे। सरकारी स्टोनोग्राफर बेकार बैठे हुए थे।

उन्होंने कहा कि कर्नल लोकनाथन ने यह स्वीकार किया है कि मेरी जानकारी में एक अत्याचार करने की घटना आयी है।

इस स्थल पर श्री भूलाभाई देसाई ने उन्हें टोक कर कहा कि कर्नल लोकनाथन ने यह कभी नहीं कहा कि वह अत्याचार की घटना थी। यदि आप उनकी बात को उद्धृत करना चाहते हैं तो गलत उद्धृत क्यों करते हैं?

इस्तगासे के वकील ने यह स्वीकार किया कि कर्नल लोकनाथन ने 'अत्याचार' शब्द का प्रयोग न करके 'यातना' का प्रयोग किया था। श्री देसाई ने कहा कि इस घटना में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका सम्बन्ध बलप्रयोग करने के अभियोग से हो।

बहस जारी रखते हुये इस्तगासे के वकील ने श्री रासबिहारी घोष की पुस्तिका से बल-प्रयोग सम्बन्धी उदाहरण पढ़े। आगे जा कर सर नौशेरवाँ ने अपना दूसरा तर्क इस प्रकार उपस्थित किया—अभियुक्तों के पास भारतीय कमीशन होने के कारण वे भारतीय फौजी कानून के मातहत हैं। सफाई पक्ष ने कहा है कि अस्थायी सरकार की घोषणा कर देने के बाद ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध घोषित करना अपराध नहीं होता। किन्तु अस्थायी सरकार की स्थापना करना ही अपराध है।

फौज को युद्धरत स्वीकार करने का अधिकार नहीं था। सिंगापुर में भारतीय असहाय नहीं छोड़ दिये गए थे किन्तु वे युद्ध बन्दी की तरह सौंपे गये थे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी अभियुक्तों ने भारत पर अधिकार करने के लिए जापानियों को सभी सम्भव उपायों से सहायता की वस्तुतः उन लोगों ने जापनी कर्मचारियों को बार बार यह कहा कि उन्हें युद्ध के मोर्चे पर कार्रवाई करने दें। यहाँ तक कि जब जापानी हटने लगे तब भी वे बर्मा में लड़ते ही रहे और वे इस बात के लिए उत्सुक थे कि जापानी भारत पर अधिकार कर लें।

उन्होंने बताया कि प्रथम महायुद्ध में आजाद हिन्द फौज की तरह आयरिश ब्रिगेड भी बना था और उसका भी यही उद्देश्य था। आजाद हिन्द फौज ने जो कार्य किया वैसा ही उसने भी किया था।

श्री भूलाभाई देसाई ने कहा कि ऐसा कहा जाता था किन्तु उन लोगों ने वैसा किया नहीं।

इस्तगासे के वकील ने कहा कि ऐसा करने की चेष्टा की गई यदि कार्रवाई की जाती है तो वह अपराध और भी बड़ा है।

श्री भूलाभाई—वह दूसरी बात है। इस्गासे के वकील ने बहस जारी रखते हुए कहा कि यद्यपि भारतीय दण्ड विधान में देशद्रोह के अभियोग की चर्चा नहीं की गई है तथापि देशद्रोह की परिभाषा यह है कि राजभक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करना राजा के विरुद्ध कार्रवाई करना है।

अपने भाषण को समाप्त करते हुए सरकारी वकील ने अन्त में कहा कि आप कुछ समय से एक ऐसे मुकदमे को सुन रहे हैं जिससे स्वभावत: ही आपको बहुत चिन्ता और व्यग्रता होती रही है। जैसा यह मामला है ऐसे मामले कभी-कभी ही आते हैं,

नियम तभी लागू कर सकता है जब वह देश के कानून का अंग हो।

अन्तराष्ट्रीय कानून अमरीका के कानून को रद्द कर सकता है किन्तु इंग्लैण्ड के कानून को नहीं। इस मुकदमे के सम्बन्ध में अन्तराष्ट्रीय कानून का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इन अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने वाली अदालत कानून के आधार पर बनाई गयी है और वह भारतीय फौजी कानून से बँधी हुई है।

मेरा मत है कि अभियुक्तों के वकील ने अन्राष्ट्रीय कानून का जो प्रश्न उठाया है वह प्रश्न यह भारा सभा में उठाया गया होता तो अच्छा होता किन्तु ऐसी अदालत के सामने, जो शासन व्यवस्था के कानून तथा भारतीय अदालत फौजी कानून से बँधी हुई है, पेश करना निरर्थक है। उन्होंने भारत सरकार की दूसरी विज्ञप्ति की ओर अदालत का ध्यान आर्पित किया जिसमें बताया गया है कि आजाद हिन्द फौज में न भरती होने वाले ४५ हजार युद्धबन्दियों में से ११ हजार युद्धबन्दी विभिन्न बीमारियों से मर गये और आजाद हिन्द फ़ौज में भरती हुए २० सजार सैनिकों में से १॥ हजार सैनिक मरे। उन्होंने फिर आजाद हिन्द फ़ौज के प्रचार मन्त्री श्री एस० ए० अय्यर के वक्तव्य से विस्तृत हवाला देते हुये बताया कि यदि चावल भेजने की बात सच भी थी तो इससे अभियुक्तों को इस मुकदमे में कोई सहायता नहीं मिलती है।

लंच के बाद

अभियुक्तों के वकील के इस विचार पर कि कप्तान सहगल ने युद्धबन्दी की तरह आत्म-समर्पण किया, इस्तगासे के वकील ने बताया कि कप्तान किटसन को कप्तान सहगल या आजाद हिन्द

अभियुक्तों ने अपनी सजायें किसी प्रकार की रियायत करने की प्रार्थना करने से इंकार कर दिया।

श्री देसाई का सम्मान

इस समस्त मुकदमे में कॉंग्रेस पैरवी कमेटी के प्रमुख वकील श्री भूलाभाई देसाई ने जिस परिश्रम और योग्यता से कार्य किया था, उसके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने के लिये दिल्ली के नागरिकों की ओर से ३० सितम्बर सन् ४५ को इम्पीरियल होटल में श्री देसाई को एक भोज दिया गया। इस अवसर पर श्री आसफअली द्वारा पढ़े गये अभिनन्दन पत्र में कहा गया कि—"अब से पहले कभी भी हम लोगों ने समस्त देश के साथ-साथ आपके परिश्रम के फल की इतनी उत्सुकता से प्रतीक्षा नहीं की थी जितनी कि गत दो महीनों में इस ऐतिहासिक घटना के सम्बन्ध में की है। इस घटनापूर्ण सप्ताहों में देश वस्तुतः आपके मुह से निकले हुए शब्दों को सुनने या पढ़ने के लिये व्यग्र रहा है। शायद ही कभी देश का ध्यान किसी घटना पर इतना आकर्षित हुआ हो।

आजाद हिन्द फ़ौज के मुकदमे में आपने जिन मुद्दों को उठाया उनकी लोगों की आत्मा में तुरत गूंज सुनाई दी। जिस तरीके से आपने इस भारी कर्तव्य को निभाया है, उस पर हम सबको गर्व है। आपने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के ऐसे अभूतपूर्व गुर उपस्थित किये जो कि राष्ट्रों की कानून की पुस्तक में एक नया अध्याय जोड़ेंगे।

अभिनन्दन पत्र का उत्तर देते हुए श्री देसाई ने कहा, "आजाद हिन्द फौज का मुकदमा एक व्यक्तिगत मामला नहीं है; उससे वफादारी के सही आधार का मौलिक प्रश्न उत्पन्न हुआ है।

जब फौजी अदालत को ऐसे कानूनी और वास्तविक प्रश्नों का निर्णय करना पड़ता है। आप के सामने जो तीन अभियुक्त हैं, आप के ऊपर उन्हें दोषी या निर्दोष ठहराने का उत्तरदायित्व है। मेरा काम कानूनी प्रश्नों को आपके सामने खोल कर रखना है। निर्णय करना यह आप का काम है। इस मुकदमे ने पत्रों में जनता का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित किया है। आप अपना निर्णय केवल गवाही के आधार ही पर बनायें।

जज एडवोकेट ने आगे कहा कि अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करना इस्तगासे का काम है। अभियुक्त जब तक अपराध सिद्ध न हो जाये तब तक निर्दोष समझे जाने चाहिये।

बचाव पक्ष की इस दलील का विश्लेषण करते हुये कि धारा १२१ के अनुसार मामले को धारा १९६ के अनुसार उचित अधिकारी से स्वीकृत लिये बिना फौजी अदालत तय नहीं कर सकती, जज एडवोकेट ने सम्मति दी कि फौजी अदालत को यह अधिकार है।

सम्राट के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के बारे में अभियुक्तों ने कहा है कि उन्होंने जो कुछ किया वह देशभक्ति की भावना से किया। मेरी सम्मति में इससे अपराध क्षमा नहीं हो जाता, यद्यपि मैं यह मानता हूँ कि अपराधों पर विचार करते समय गम्भीर स्थितियों का ध्यान रखा जाना चाहिये।

सरकारी वकील के भाषण के पश्चात् फौजी अदालत की एक बैठक और हुई। उसमें अभियुक्तों के चाल चलन के संबंध में यह बात निश्चित की गई, कि इससे पूर्व तीनों अभियुक्तों की चाल-चलन निहायत अच्छा था, और उनको किसी अदालत से कभी कोई सजा नहीं मिली।

के० सहगल, कै० शाहनवाज तथा ले० ढिल्लन रिहाई के पश्चात् अपने मित्रों के बीच

जज एडवोकेट ने भी अपने कल के भाषण में यह स्वीकार किया है कि मैंने कम-से-कम ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास का एक उदाहरण ऐसा पेश किया है, जब कि अमरीका में जहाँ के लोग बहुत साल पहले ब्रिटिश ताज के मातहत थे, इसी प्रकार का प्रश्न उपस्थित हुआ था। जहाँ ताज की और देश की वफ़ादारी आपस में मिलती हों वहाँ कोई कठिनाई पेश नहीं आती, परन्तु जब किसी विदेशी सत्ता द्वारा थोपी हुई वफ़ादारी और अपनी मातृभूमि के प्रति स्वाभाविक वफ़ादारी में से किसी एक को चुनने का प्रश्न उपस्थित हो, वहाँ मुझे कोई सन्देह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति देश की वफ़ादारी को ही चुनेगा'।"

श्री भूलाभाई देसाई ने कहा कि एक वैधानिक वकील का मस्तिष्क एक ही घेरे में घूमता रहता है, अर्थात् संकुचित हो जाता है। वह समझने लगता है कि जो कुछ कानून की पुस्तक में लिखा हुआ है उससे ऊपर और कोई कानून नहीं है। यह एक बहुत ही दूषित दायरा है। और जहाँ कानून बनाने वाला कोई बाहर का हो तब तो आप शायद कभी भी उस घेरे से बाहर नहीं जा सकते।

श्री देसाई ने बताया कि अमरीका का उदाहरण मिलने से पहले उन्होंने डा० काटजू के साथ कई दिनों तक वफ़ादारी का सही आधार जानने के लिये परामर्श किया।

श्री देसाई इसके पश्चात् बम्बई चले गये, और समस्त देश स्तब्ध मन से मुक़दमे के फ़ैसले की प्रतीक्षा करने लगा।

सम्राट के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने के आरोप में अभियुक्तों को फौजी अदालत द्वारा प्राणदण्ड या आजन्म काले पानी का दण्ड दिया जाना निश्चित था। कानून के अनुसार इससे कम सजा नहीं दी जा सकती थी, फौजी अदालत ने आजन्म काले पानी को, नौकरी से हटाने की और बाकी वेतन और भत्तों की जब्ती की सजा दी है।

फौजी अदालत का फैसला जब तक पुष्ट न कर दिया जाय तब तक वह पूर्ण नहीं होता। इस मामले में सजा को पुष्ट करने वाले अधिकारी प्रधान सेनापति को सन्तोष है कि प्रत्येक मामले में सजायें गवाही के अनुसार हैं; इसलिए उसने उनको पुष्ट कर दिया है।

लेकिन प्रधान सेनापति को सजा को कम करने, रद्द करने या माफ कर देने का अधिकार भी है। जैसा पत्रों में बताया जा चुका है, भारत सरकार की नीति यह है कि भविष्य में केवल उन्हीं व्यक्तियों पर मुक़दमे चलाये जायें, जिन पर सम्राट के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने के साथ साथ अत्यन्त निर्दयता के कार्य करने के आरोप हैं। यह घोषित किया जा चुका है कि फ़ौजी अदालतों के मुक़दमों का पुनर्विचार करते समय अधिकारी अफसर एक ही बात ध्यान में रखेगा कि उनके कार्य किस सीमा तक सभ्य व्यवहार के विरुद्ध रहे हैं।

लै० ढिल्लन और कप्तान सहगल हत्या करने और हत्या के लिये उत्तेजित करने के आरोपों में बरी कर दिये गये हैं और यह नहीं कहा गया है कि उनके ऊपर निर्दयता के किन्हीं अन्य कार्यों के आरोप हैं। यद्यपि कप्तान शाहनवाज खाँ हत्या के लिये उत्तेजित करने के अपराधी पाये गये हैं और उनके विरुद्ध

सुख संवाद से जनता में एक लहर सी दौड़ गई और सरकार की इस कार्यवाही पर उसे बधाई तथा सन्तोष प्रकट किया जाने लगा।

श्री शाहनवाज आदि तीनों देशभक्तों को अपनी रिहाई पर थोड़ा सा आश्चर्य अवश्य हुआ। संध्या के लगभग पाँच बजे जिस समय उनसे अपना सामान बाँधने को कहा गया, तो उन्होंने और उनके साथियो ने यही समझा, कि अब वे तीनों अदालत द्वारा दी गई किसी लम्बी सजा को काटने के लिये किसी ग़ैरफ़ौजी जेल में भेजे जा रहे हैं।

इसके पश्चात् उन्हें उनकी बैरक से अदालत के कमरे में लाया गया, और वहाँ पर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। किन्तु साथ ही यह भी बताया गया कि प्रधान सैनापति द्वारा उनको यह सजा रद्द कर दी गई है, और अब जहाँ भी उनकी इच्छा हो जाने के लिये आजाद हैं।

अफसरों की रिहाई के संबंध में नई दिल्ली से उसी दिन जो सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित की गई, वह इस प्रकार है।

"कप्तान शाहनवाज खां, कप्तान सहगल और लै० ढिल्लन पर फौजी अदालत सम्राट के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने के आरोप की मुक़द्दमा चलाया गया था। लै० ढिल्लन पर हत्या का और कप्तान शाहनवाज खां और कप्तान सहगल पर हत्या के लिये उकसाने के आरोप थे।

अदालत का फैसला यह है कि सम्राट के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने के जुर्म में तीनों अभियुक्त दोषी हैं और कप्तान शाहनवाज खां को हत्या में सहायता देने के लिए दण्ड दिया गया है। कप्तान सहगल हत्या करने और लै० ढिल्लन हत्या के लिए उत्तेजित करने के आरोप में बरी कर दिये गये हैं।

तीनों अफ़सर खाकी फौजी वर्दी में थे। जय हिन्द कहते हुये उन्होंने अपने स्वागतार्थ उपस्थित समस्त जनता को फौजी सलामी दी।

इसके पश्चात् जय हिन्द के नारे से अपना भाषण आरम्भ करते हुये कप्तान शाहनवाज ने कहा :—आजाद हिन्द फौज के हम तीनों आदमी आपकी सेवा में हिन्दुस्तान के लोगों को मुबारक बाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह मुबारक बाद इसलिए नहीं कि हम लोगों की जानें बच गईं, क्योंकि अपनी मातृभूमि की आजादी के जङ्ग में लड़ने वाला सिपाही अपनी जान का कोई मूल्य नहीं समझता। बल्कि इसलिये की अंग्रेजों ने यह मान लिया है कि प्रत्येक गुलाम देश के लोग अपनी आजादी के लिए लड़ सकते हैं। आप लोगों ने हमारा जो सम्मान और हमारे प्रति जो सहानुभूति प्रकट की है, वह वास्तव में आपने हमारे नेताजी श्री सुभाषचन्द्र बोस का सम्मान किया है।

घास-फूस खा कर लड़ते रहे

आजाद हिन्द फौज के सिपाहियों की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए शाहनवाज ने कहा—"जब हम लोग चिन्द्र बन की पहाड़ियों में लड़ रहे थे तब हमारे जवान घास-फूस खा कर गुजारा कर रहे थे। गोला-बारूद और रसद भी हमारे पास नहीं थी इसी अवसर पर अंग्रेजी फौज से हमारे पास एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा था, 'आजाद हिन्द फौज के गुमराह सिपाहियो तुम्हारे बाल-बच्चे तुम्हारी बाट देख रहे हैं। तुम उस ओर घास-फूस खाकर पशुओं का-सा जीवन बिता रहे हो। यदि तुम यहाँ आ गये तो तुम्हें बहुत अच्छी रसद मिलेगी और तुम्हारे बाल बच्चों से तुम्हें मिला दिया जायगा। हम लोगों ने इस चिट्ठी पर सोचा तक नहीं। हमने इस चिट्ठी का उत्तर देते हुये कहा

कठोर कार्य करने के आरोप हैं, फिर भी प्रधान सेनापति ने तत्कालीन स्थितियों को ध्यान में रखा है।

इसलिये प्रधान सेनापति ने सजा के मामले वे तीनों अभियुक्तों के साथ समान रूप से व्यवहार करने और तीनों की ही आजन्म काले पानी की सजा को रद्द करने का निश्चय किया है। लेकिन उन्होंने उनको नौकरी से हटाने और उनके वेतनों और भत्तों की जब्ती की सजा बहाल रखी है, क्योंकि सभी अवस्थाओं में सैनिकों या अफसरों के लिये वफादारी को छोड़ना और राज्य के विरुद्ध लड़ाई छेड़ना गंभीर अपराध है। यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिसे कायम रखना प्रत्येक सरकार के लिये, चाहे वह वर्तमान सरकार हो या भावी सरकार हो, हितकर है।"

पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधान-सेनापति को बधाई

"मुझे हर्ष है कि आ० हि० फौज के वे तीनों अफसर रिहा कर दिये गये हैं जिनके मुकदमे ने हिन्दुस्तान में इतनी तेजी से हलचल पैदा कर दी थी। इन अवस्थाओं में यही किया जा सकता था। मुझे हर्ष है कि प्रधान सेनापति ने ठीक ही किया है। उनके सेना से निकाले जाने की बात कोई महत्व नहीं रखती, क्योंकि उस सेना को तो उन्होंने बहुत पहिले ही छोड़ दिया था। मुझे विश्वास है कि आ० हि० फौज के दूसरे अफसरों और सैनिकों के बारे में भी इसी नीति का व्यवहार किया जायेगा। मेरे बड़े वकील श्री भूलाभाई देसाई ने मुकदमे को अपनी सहज योग्यता से चलाया और सारे मामले को बड़ी सुन्दरता से उपस्थित किया। वे बधाई के अधिकारी हैं। लेकिन वास्तविक

के० सहगल, ढिल्लन, तथा शाहनवाज़ रिहाई के पश्चात् स्वागतार्थ एकत्रित भीड़ को अभिवादन कर रहे हैं।

हियों को भी रिहा कर देगी और जब तक ये लोग छूट नहीं जाते तब तक देश इसी प्रकार आन्दोलन जारी रखेगा। शाह-नवाज ने "आजाद हिन्द, जिन्दाबाद" और नेताजी, जिन्दाबाद' के नारों से अपना भाषण समाप्त किया।

नेताजी के सामने ली गई प्रतिज्ञा अभी तक कायम है। के० सहगल का भाषण

कप्तान शाहनवाज के बाद कप्तान सहगल ने अपना भाषण देते हुए कहा कि आज का दिन वास्तव में हमारे लिये बहुत गौरव का है, क्योंकि पूर्वी एशिया में हमने जो काम किया उसकी आप लोगों ने कद्र की है। सिंगापुर और मलाया में जब अँगरेजी फौज हमें अपने अपने भाग्य पर छोड़कर चली आई तब हमें अपने लिये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का फैसला करना पड़ा। हमने इतिहास पर दृष्टि डाली और उससे हमने यह सबक सीखा कि संसार की दूसरी क़ौमों ने भी अपने देशों से बाहर आजादी की लड़ाइयाँ लड़ी हैं तब हम क्यों नहीं अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए आन्दोलन आरम्भ करें। हमने यह भी फैसला किया कि हिन्दुस्तान से बाहर अहिंसा से हम आजादी प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। हमें अपने तथा पूर्वी एशिया में रहने वाले लाखों भारतीय भाई-बहिनों के जान-माल की रक्षा के प्रश्न पर भी विचार करना था। हमें यह मालूम था कि हमारी शक्ति अँगरेजी फ़ौजों के मुकाबिले में बहुत कम थी, परन्तु हमारा यह विश्वास था कि हममें एक ऐसी नैतिक शक्ति उत्पन्न होगी जो किसी भी बड़ी से बड़ी शक्ति का मुकाबला कर सकेगी। अतः इस फैसले को अमल में लाते हुए हमने एक फौज बनाई। यह फौज विशुद्ध रूप से एक स्वयंसेवक

कि आजादी के लिये हम घास-फूस खाना पसन्द करते हैं। हमें गुलामी की डबल रोटियाँ नहीं चाहिये।

"कोहिमा में राशन कमी से जब हमारी सेना वापिस लौट रही थी, तब मैंने मार्ग में एक जख्मी जवान पड़ा हुआ देखा। उसके जख्मों में हजारों कीड़े पड़े हुये थे। उसने मुझे अपने निकट बुलाया और कहने लगा कि मेरा एक छोटासा सन्देशा लेते जाना। उसने कहा कि नेताजी को मेरा जय हिन्द बोल देना और उनसे कहना कि मैं देश की आजादी के लिये सड़-सड़ कर मरा हूँ। परन्तु बहुत खुशी से मरा हूँ क्योंकि यह सारी तकलीफ वतन के लिए है।"

हिन्दुस्तान की विविध जातियों की एकता की अपील करते हुये शाहनवाज ने कहा—"आजाद हिन्द फौज में हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख और ईसाई आदि सब जातियों के लोग शामिल थे। हम सब ने मिल कर एक ही मैदानेजङ्ग में अपना खून बहाया। हमारी अब एक ही प्रार्थना है और वह यह कि उन शहीदों के नाम पर जो भारत माता के लिए बलिदान हुये हैं, हम सब लोगों को एक हो कर अपनी मातृ-भूमि को आजाद कराना चाहिये।

लड़ाई का दूसरा दौर

"आजाद हिन्द फौज की लड़ाई का पहला दौर, जो कि हम ने अपने नेताजी के नेतृत्व में हथियारों के साथ लड़ी है, अब समाप्त हो गया है। परन्तु आजाद हिन्द फौज का ध्येय अभी पूरा नहीं हुआ। अतः लड़ाई का दूसरा दौर अब देश के अन्दर आरम्भ होगा और यह अहिंसा के आधार पर होगा।

अन्त में श्री शाहनवाज ने यह आशा प्रकट की कि भारत सरकार जेलखानों में पड़े हुए आजाद हिन्द फौज के अन्य सिपा-

मुकदमा चलाकर सारे संसार को आ० हि० फौज की कहानी सुना दी।

कप्तान सहगल ने यह घोषणा की कि "नेताजी के सामने हमने जो शपथ ली थी वह अब भी कायम है। हिन्दुस्तान से बाहर हमने सशस्त्र लड़ाई लड़ी और हिन्दुस्तान के अन्दर अब निःशस्त्र लड़ाई लड़ेंगे। हम अपने नेताजी के प्रति वफादार रहेंगे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक कि हमारा देश आजाद नहीं हो जाता।"

श्री सहगल ने आगे कहा—"हमारी फौज के हजारों आदमी अभी तक जेलखानों के अन्दर हैं। हमारा शरीर यद्यपि जेल से बाहर है, मगर आत्मा जेल के अन्दर है। जब तक वे सब छूट नहीं जाते तब तक हम आराम नहीं लेंगे।"

श्री सहगल ने श्री आसफअली, डा० काटजू, श्री भूलाभाई देसाई और पण्डित जवाहरलाल नेहरू को धन्यवाद दिया और उन तीन नारों के साथ भाषण समाप्त किया जो कि वे आजाद हिन्द फौज में लगाया करते थे।

लै० ढिल्लन का भाषण

अपने से पूर्व बोलनेवाले दोनों अफसरों को आजाद हिन्द फौज के दर्जे से सम्बोधित करते हुए लेफ्टिनेन्ट गुरुबख्शसिंह ढिल्लन ने कहा—"सौभाग्य की बात तो यह है कि आज जनरल शाहनवाज और कर्नल सहगल यहाँ उपस्थित हैं। आप लोगों ने हमारा जो सम्मान किया है, वास्तव में हम इस सम्मान के अधिकारी नहीं हैं। इस सम्मान के अधिकारी तो वे लोग हैं जो आज बर्मा की पहाड़ियों और मलाया के जंगलों में निष्प्राण सोये हुए हैं या जो आज भी जेलों के सीकचों में बन्द हैं। हमें

सेना थी या यह कहना चाहिये कि एक फ़कीरों की फ़ौज थी। जो लोग इस फौज में भर्ती होते थे उनसे हम साफ कहते थे कि उन्हें भूखे रहकर लड़ना होगा।

जागृत की लहर

"अगस्त १९४२ में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जर्मनी से पूर्वी एशिया में पधारे और उनके आते ही एक नई जागृति फैल गई। उन्होंने अस्थाई आ० हि० सरकार स्थापित की और उनके मातहत एक आ० हि० फौज का सङ्गठन किया। पूर्वी एशिया में रहनेवाले भारतीयों ने तन-मन-धन से नेताजी की सहायता की। हजारों स्वयंसेवक प्रतिदिन भर्ती होने आते थे, यद्यपि हमारे पास उनकी ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रवासी भारतीयों ने करोड़ों रुपया आ० हि० फौज के लिए नेताजी को भेंट किया। उन लोगों की गाढ़ी कमाई से खड़ी की गई आ० हि० फौज भूखी और प्यासी रहकर भी लड़ती रही।

महिलायें भी रणक्षेत्र में

"इस लड़ाई में हमारी भारतीय बहिनें भी हमारे साथ थीं। कै० लक्ष्मी की कमान में 'झाँसी की रानी' के नाम से उनकी एक अलग ब्रिगेड थी। वे फ्रंट लाइन पर रहती थी और आ० हि० फौज के घायल सिपाहियों की चिकित्सा करती थीं। अवसर आने पर वे लड़ने के लिए अपनी बन्दूकें भी तैयार रखती थीं। बालकों की एक बाल सेना भी मौजूद थी।

हमारी प्रतिज्ञा कायम है

कप्तान सहगल ने आगे चलकर कहा—कि हम ब्रिटिश राज्य को बधाई देते हैं कि उसने फौजी अदालत में हमारे विरुद्ध

अफसर सवार थे। उसने अपनी अँगुली को काटा और उससे निकले खून से तीन अफसरों के माथे पर तिलक किया। आकाश 'जय हिन्द' के नारों से गूंज उठा।

सहगल का भाषण

इसके बाद तीनों अफसरों के बारी-बारी से भाषण हुए। सबसे पहिले सहगल ने भाषण देते हुए 'रक्त-तिलक' के सम्बन्ध में कहा:—

"हम लोग नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को वचन दे चुके हैं कि हम लोग अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिये अपने खून की एक एक बूँद तक देंगे। हम लोगों ने नेताजी के नेतृत्व में भारत की स्वाधीनता के लिए जो संघर्ष शुरू किया था, वह नये उत्साह व जोश के साथ जारी रहेगा।"

शाहनवाज का भाषण

शाहनवाज ने अपने भाषण में कहा—"हमारी रिहाई का कारण यह है कि देश की जनता ने और देश की विभिन्न राजनैतिक पार्टियों ने जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हैं, मिलकर जोर दिया था। इस कारण सरकार को झुकना पड़ा।

"नेता जी की स्फूर्तिदायक और योग्य पथप्रदर्शकता में हिंदू, सिक्ख, मुसलमान और इसाई सभी आज़ाद हिन्द फौज में शामिल हुए। उन सबके सामने एक ही आदर्श था और वह था देश की आज़ादी।

नेताजी को सहायता

आपने बताया "जब नेताजी को लेकर एक वायुयान बैंकाक से टोकियो जा रहा था तो रास्ते में वह गिर पड़ा। किन्तु उनके साथी कर्नल हबीबुर्रहमान वायुयान से कूद पड़े और उन्होंने नेताजी की प्राथमिक सहायता की।

उन लोगों की रूहों का ख्याल करना चाहिये जिन्होंने आजाद हिन्द फ़ौज में लड़कर अपनी जानें दी हैं।"

ध्येय अभी तक पूरा नहीं हुआ

श्री ढिल्लन ने आगे कहा कि आ० हि० फ़ौ० का ध्येय अभी तक पूरा नहीं हुआ, परन्तु उसने यह अवश्य सिद्ध कर दिया कि हिन्दू मुसलमान और सिक्ख न केवल एक हो सकते हैं, बल्कि अपने वतन की आजादी के लिये एक साथ मिलकर लड़ भी सकते हैं। हम लोगों ने अब लड़ाई का शस्त्र बदल लिया है और आजादी के ध्येय तक हमें पहुँचना है। अतः हम सब को एक होकर इस ओर आगे बढ़ना चाहिये।

अन्त में श्री ढिल्लन ने नेता जी का वह ओजस्वी गान गाया जो वे आजाद हिन्द फ़ौज में गाया करते थे, आपने कहा कि हम अभी तक लाल क़िले में नहीं प । लाल क़िले में हम उस दिन अपने आप को पहुँचे समझेंगे जिस दिन उस पर तिरंगा झंडा फहरायेगा।

श्री आसफअली का भाषण

आजाद हिन्द फ़ौज के तीनों अफसरों का दिल्ली की ओर से स्वागत करते हुए काँग्रेस कार्य समिति के सदस्य और दिल्ली प्रांतीय काँग्रेस कमेटी के प्रधान श्री आसफअली ने कहा कि गैर मुल्की कानून में इन अफसरों का चाहे जो अपराध बनता हो, परन्तु हिन्दुस्तान की निगाहों में वे अपराधी नहीं हैं। यह लोकमत की आवाज है जिसने इनकी जानें बचाई और इसके साथ-साथ देश की इज्जत भी बचाई। आप लोगों की आवाज कोई ठुकरा नहीं सका। श्री आसफअली ने कहा कि देश के हर कोने में उन्होंने विशाल मजमे देखे और जय हिन्द के नारे बुलन्द

रिहाई के पश्चात् श्री शाहनवाज़
देहली की विशाल सभा में व्याख्यान दे रहे हैं।

दूसरे वीरों के सम्बन्ध में चिन्ता

• इस मुकदमे के ऐसे सुखद अन्त के पश्चात् समस्त भारतीय जनता का ध्यान स्वभावतः आ० हि० फौ० के उन वीरों की ओर आकर्षित हो गया है, जो इस समय लाल किले की बैरेकों में बन्द अपने निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

उनमें से चार अफसरों के मुकदमें तो इस समय अदालत में ही हैं। जिनमें से पहिला मुकदमा कैप्टिन बुहारुनुद्दीन के ऊपर है, जो सीमाप्रान्त की एक रियासत चित्राल के महतर (शासक) के भाई हैं, और जिन पर फौज से भागने के अपराध में अपनी रिमेंड के एक सिपाही जोगासिंह को बेतों से पिटवा पिटवा कर मार डालने का आरोप लगाया गया है।

दूसरा मुक़दमा सरदार सिघाड़ासिंह और जमादार फतहखाँ के खिलाफ है। इन दोनो पर भी हत्या आदि के जुर्म लगाये गये हैं।

तीसरा मुक़दमा कैप्टिन रशीद के खिलाफ है। और उन पर भी अनेक युद्ध बन्दियों को पिटवाने तथा अन्य अत्याचार करने का आरोप लगाया गया है। केवल इनके ही मुक़दमे की पैरवी मुस्लिम लोग कर रही है।

इनके अतिरिक्त कर्नल भोंसले आदि अनेक अफसर ऐसे हैं, जिन पर मुक़दमा चलाया जाने वाला है। लेकिन भारतीय जनता आशा करती है कि आ० हि० फौ० के प्रथम मुक़दमे की ही भाँति सरकार अन्य अफसरों के सम्बन्ध में भी नीति निर्धारित करते समय अपने विवेक का परिचय देगी।

जयहिंद

इनर २ पेज और पृष्ठ ११३ से पृष्ठ २३८ तक जायसवाल प्रेस, प्रयाग में मुद्रित।

नेताजी का अन्तिम सन्देश

शाहनवाज ने कहा :—"नेताजी" कर्नल हबीबुर्रहमान की मार्फत जो अन्तिम सन्देश भिजवाया था, वह यह है—'जब तक आजाद हिन्द फौज का एक भी सिपाही जीवित है, तब तक भारत की स्वाधीनता के लिए संग्राम जारी रहना चाहिए।' बदकिस्मती से हम लोग अपने कार्य में सफल नहीं हुए। लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं कि स्वाधीनता संग्राम खत्म कर दिया जायगा। हम तो इसे जारी रखने का संकल्प कर चुके हैं।

ढिल्लन का भाषण

श्री ढिल्न ने अपने भाषण में कहा : "आप लोगों ने हमारे प्रति जो प्रेम प्रदर्शित किया है, उससे स्पष्ट है कि भारत आजाद हिन्द फौज के उन योद्धाओं के प्रति श्रद्धाँजलि अर्पित करता है जो मैदाने जंग में मारे गए। हम आप लोगों को यकीन दिलाते हैं कि हम अपना जीवन देश को आजादी के लिए कुर्बान कर देंगे।"

इसके बाद आप तीनों जस्टिस श्री अच्छूराम के मकान पर चले गए।

देहली और लाहौर के उपरोक्त समारोहों के साथ समस्त देश ने भी अपने इन वीरों की रिहाई पर भारी हर्ष प्रकट किया है। सरकार के साथ कटु सम्बन्ध होते हुए भी भारत के प्रधान सैनापति के इस उदार व्यवहार की देश के कोने कोने से प्रसंशा की गई है। सच बात तो यह है कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधान सैनापति ने ऐसा वीरतापूर्ण निर्णय देकर भारतीय जनता को सदैव के लिये अपना कृतज्ञ बना लिया है।

जमादार फ़तहखां
(आप सूबेदार सिंघाड़ासिंह के साथ आ० हि० फ़ौ० के तीसरे
मुक़दमे में अभियुक्त हैं !

सूवेदार सिंघाड़ा सिंह
आप जमादार फ़तहखां के साथ आ० हि० फ़ौज के तीसरे
मुक़दमे में [illegible]